भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5001
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों के लिए भंडारण सुविधा

5001. श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई):

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों के लिए सुदृढ़ भंडारण सुविधा प्रदान करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात के आणंद जिले में एक सुदृढ़ भंडारण सुविधा प्रदान करने पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार संख्या कितनी है और उक्त भंडारण सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) : सरकार समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) के उप-स्कीम "कृषि मंडी अवसंरचना (एएमआई)" स्कीम के माध्यम से गुजरात के आणंद जिला सहित देश के किसानों के लिए भंडार सुविधा प्रदान कर रही है। एएमआई स्कीम पार्श्वांत पूंजीगत राज-सहायता स्कीम है इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की श्रेणी तथा परियोजना के लिए प्रदत्त पूंजीगत लागत के आधार पर राज-सहायता की दर 25 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत है। एएमआई उप-स्कीम के अंतर्गत निजी किसानों, किसान/उपजकर्ता समूह, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि के लिए सहायता उपलब्ध है।

एएमआई स्कीम मांग वाहित स्कीम है। अब तक स्कीम के अंतर्गत देश भर में 655.48 लाख एमटी के क्षमता वाले कुल 38,964 भांडागार अवसंरचना की परियोजनाओं (गोदाम) को मंजूरी दी गई है। इसमें से गुजरात के आणंद जिले में 2.227 लाख एमटी की क्षमता वाले 542 भांडागार अवसंरचना की परियोजनाओं (गोदाम) को सहायता दी गई है। एएमआई उप-स्कीम के अंतर्गत आणंद जिले में सहायता प्राप्त परियोजनाओं का स्थान-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

अनुबंध-I

लो.सं.अ.ता.प्र.सं. 5001

एएमआई उप-स्कीम के अंतर्गत आणंद जिले में सहायता प्राप्त परियोजनाओं का स्थान-वार विवरण

क्र.सं	**तालुका का नाम**	**परियोजनाओं की संख्या**
1.	आणंद	165
2.	बोरसाड	94
3.	पेटलाड	77
4.	खम्भात	43
5.	उमरेठ	76
6.	अंकलाव	33
7.	सोजितरा	32
8.	तारापुर	22
	कुल	**542**

*****